न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

R. 3416-III/14

रगवीर उफ रघुवीर 48 साल बल्द धीरा आदिबासी ,

निबासी ग्राम बेलई घाट तहसील नरयावली जिलर सागर म0प्र0

...........आवेदक

बिरूद्ध

म0 प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर महोदय सागर ....रिस्पॉडेंट

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता 1959

आवेदक की ओर से प्रार्थना हैः–

1– यह कि आवेदक यह निगरानी न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर द्वारा प्र0क0 08/निग/02–03 में पारित आलोच्य आदेश दिनॉक 04/03/2014 से परिवेदित .होकर कर रहा है। जो समय सीमा में नहीं है। तथा माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त बिवरण इस प्रकार है कि आवेदक के नाम से ग्राम नरयावली जिला सागर में खसरा नं0 158 में खसरा नं0 0.75 डिस्मिल भूमि राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी के रूप में दर्ज है उपरोक्त भूमि के बिकय की अनुमति वावद आवेदक द्वारा एक आवेदनपत्र कलेक्टर महोदय सागर को इस आधार पर प्रस्तुत किया था कि आवेदक के पास अन्य ग्राम खाकरोंन में 1,63 है0 यानि 4.50 एकड़ भूमि ओर है, जिसे वह बिकसित करने वावद आवेदक को रूप्यों की अवश्यकता है तथा अपनी पुत्री एवं पुत्र के बिवाह वावद अवश्यकता है। जिसके आधार पर कलेक्टर महोदय द्वारा पटवारी , तहसीलदार आदि से प्रतिवेदन प्राप्त करने के उपरांत वादग्रस्त भूमि विकय की अनुमति का आवेदनपत्र निराधार रूप से निरस्त कर दिया।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3416–तीन/2014 **जिला सागर**

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि. आदि के हस्ताक्षर
08–04–15 सागर कैम्प	आवेदक अधिवक्ता द्वारा समयसीमा पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–3–14 के विरूद्ध इस न्यायालय में विलम्ब से प्रस्तुत की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की आवेदक को जानकारी थी तथा आवेदक की उपस्थित में पारित हुआ है । अतः प्रकरण प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब का कारण समाधानकारक नहीं होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । **प्रशासकीय सदस्य**	